बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बृहस्पतिवार, तिथि ९ अप्रील, १९६४ ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ९ अप्रील १९६४ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या ८९ के सम्बन्ध में ।

* श्री वीर चन्द पटेल— सभी माननीय सदस्य की इच्छा होती है कि वे अल्प-सूचित प्रश्न दे दें और उनकी यह अन्डरस्टेंडिंग रहती है कि समय पर इसमें कार्रवाई हो जायगी, पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं क्षमा चाहता हूं ।

अध्यक्ष— माननीय सदस्य और माननीय मंत्री में जो प्राइवेट बात होती है वह तो सदन के लिए लागू नहीं है ।

*श्री रामानन्द तिवारी— अध्यक्ष महोदय अब तारांकित प्रश्न लेने का समय समाप्त हो गया है इसलिये अल्प-सूचित प्रश्न ही के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है ।

अध्यक्ष— जो पहले वाला प्रश्न है वह तो रहेगा ही ।

सूद की माफी ।

९०। श्री इन्द्र नारायण सिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्य के जो किसान समय पर सरकारी ऋण चुका देंगे उनका सूद माफ कर दिया जायगा ;

(२) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार ने ऋण चुकाने की कौन-सी अन्तिम तिथि निर्धारित की है ?

श्री वीर चन्द पटेल— (१) उत्तर नकारात्मक है पर सरकार ने यह निर्णय किया है कि बकाय मूलधन के बराबर रुपया चुका देने पर बकाये सूद के लिए कोई

श्री वीर चन्द्र पटेल— (१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) उत्तर नकारात्मक है । पोखरा निर्माण का कार्य वहां की जनताओं के निवेदन से ही हुआ अतः संयोजक के निजी लाभ का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है । पोखरा में पानी उपलब्ध है यदि प्रयास करें तो सिंचाई का काम हो सकता है ।

(४) आशा है कि जल्द ही सरजमीन पर जांच समाप्त कर डी०सी०एल०आर० रिपोर्ट दे देंगे । जांच के बाद ही कोई कारवाई की जायगी ।

जमीन की बन्दोबस्ती ।

२०६२ । श्री राम कृष्ण राम— क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिलान्तर्गत ग्राम धुलही सोनवा थाना चांद में निम्नलिखित प्लौट में श्री किशोर सिंह ने गैरमजरुआ मालिक जमीन अनाधिकार अवैधानिक तौर से दखल किया है—

प्लौट नं०		रकबा	
		ए०	डी०
...	...	०	१४
४४५	...	०	७५
४६९	...	३	०९
४४९	...	०	४३
५५०	...	०	२७
६२०	...	१	१९
६२१	...	०	१२
६२३	...	०	३८
६२४	...	०	१०
६६८	...	०	१५
६८९	...	०	६५
७०७	...	०	६३
७४९	...	१	१९
७६५	...		

प्लौट नं०			रकबा	
			ए०	डी०
७८१	...	...	०	४६
८००	...	...	०	११
८२३	...	...	०	४३
८२५	...	...	१	७१
७०५	...	...	५	०९
८६६	...	...	०	१०
८८७	...	...	६	३२
८८९	...	...	१	१६
२७४	...	...	१	१९
६८३	...	...	१	१९
९५७	...	...	...	...
८२०	...	...	११	६५

(२) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार उक्त व्यक्ति से जमीन लेकर उक्त ग्राम के भूमिहीन हरिजनों को नियमानुसार देना चाहती है; यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर चन्द पटेल— (१) इन सभी प्लौटों में से खाता नं० १३७,१३६,२२६ और १८ ये चार हीं प्लौट गैरमजरुआ ग्राम तथा गैरमजरुआ मालिक हैं। बकिये प्लौट बकास्त और कायमी हैं इन में से किसी भी प्लौट पर, श्री किशोर सिंह के अनाधिकार अवैधानिक दखल में नहीं है।

(२) जैसा कि प्रश्न के खंड (१) के उत्तर में कहा गया है, वर्णित प्लौट में जो प्लौट गैरमजरुआ ग्राम या गैरमजरुआ खास है, उस पर किसी का अवैधानिक दखल नहीं है। इस गैरमजरुआ खास जमीन की बन्दोबस्ती के संबंध में सरकार की नीति के अनुसार तथा नियमानुसार कार्रवाई की जायगी।

मिट्टी कटवाने का विचार।

२०६३। श्री इन्द्र नारायण सिंह— क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के जमुआ अंचल के अन्तर्गत ग्राम छतमका, थाना नं० ३७० में एक पुराना आहर है जिसका प्लाट नं० २६० तथा रकबा ५ एकड़ का है;